प्रकरण संख्या 59/2021 श्रीमती पिंकी बनाम जमनागिरी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.09.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बडियार, तहसील मावली में आराजी नंबर 241 रकबा 14 बीघा भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में मुझ वादी के नाम 1/2 एवं लक्ष्मणगिरी पिता किशनगिरी गुसाई के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है। खातेदारी लक्ष्मणगिरी एवं वादी दोनों सगे भाई हैं। लक्ष्मणगिरी बीमार होने से मेरे साथ ही निवास करते थे, उनकी सेवा सुश्रुषा वादी ने की, जिससे प्रसन्न होकर लक्ष्मणगिरी ने दिनांक 24.11.2001 को वसीसत वादी के पक्ष में लिख दी। लक्ष्मणगिरी का देहावसान दिनांक 11.10.2012 को हो गया तथा उनकी भूमि पर वादी ही काबिज है। अतः वादी का वाद स्वीकार विवादित आराजी के सम्पूर्ण हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 09.04.2019 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 28.07.2021 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री धमेन्द्र गहलोत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट 2 व 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया मृतक लक्ष्मणगिरी की जाईन्दा पुत्री होकर जिवित वारिस है, जिसका वादग्रस्त आराजी में हक अधिकार निहित है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री से प्रार्थीया के हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट/प्रार्थीया को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि प्रार्थीया को उक्त निर्णय को चैलेन्ज करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि निर्णय विधि अनुरूप	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:35 IST
Reason: SelfAttested

पारित किया गया है। प्रार्थीया लक्ष्मणगिरी की पुत्री है, किन्तु शादी के बाद अपने पति के यहां निवास करती है, उसका विवादित आराजी में कोई हित अधिकार निहित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट/प्रार्थीया ने अपने आपको लक्ष्मणगिरी की पुत्री बताकर अपील प्रस्तुत की है एवं तथ्य से विपक्षी ने इंकार नहीं किया है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि उक्त भूमि में लक्ष्मणगिरी का 1/2 हिस्सा था, जो विपक्षी संख्या 1 को अधिनस्थ न्यायालय की डिक्री से प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थीया को हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार पाते है। तद्नुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उन्हें बिना सुने निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जिसकी उन्हें जानकारी उसे नहीं थी। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीया का कब्जा नहीं है तथा वह अपने पति के साथ ससुराल में रहती है। साथ ही अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई ठोस कारण भी अपीलान्ट ने नहीं बताया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से खारिज की जावे।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय को वसीयत के संबंध में प्रचलित विधि अनुसार निर्णय [illegible] करना था, क्योंकि वसीयत के संबंध [illegible] दीवानी न्यायालय को है, र[illegible] के आधार पर निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं [illegible] अपीलान्ट लक्ष्मणगिरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:35 IST
Reason: SelfAttested

की एकमात्र जाईन्दा पुत्री होकर उनके जीवनकाल से काबिज चली आ रही है। लक्ष्मणगिरी द्वारा कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गयी है, वसीयत फर्जी है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने फर्जी वसीयत के आधार पर अपीलान्ट को बिना सुने जो निर्णय पारित किया है, वह अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में राजस्व रेकार्ड अनुसार निर्णय पारित किया है। जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट लक्ष्मणगिरी की जाईन्दा पुत्री होना स्वीकृत तथ्य है तथा यह भी प्रमाणित है कि विवादित आराजियात में उसके पिता लक्ष्मणगिरी का 1/2 हिस्सा था, जो रेस्पोन्डेन्ट/वादी ने घोषणा के वाद के जरिये अपने नाम करवा लिया है, किन्तु उक्त वाद में अपीलान्ट जो लक्ष्मणगिरी की जाईन्दा पुत्री है, उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र 10/— रूपये के अनरजिस्टर्ड स्टाम्प पर वर्णित वसीयतनामें के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/वादी का वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.04.2019 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर एवं साक्ष्य लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.11.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:35 IST
Reason: Self Attested

([illegible] सांगावत)
[illegible] अधिकारी
[illegible] राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर